राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्धि)डीएलबी/25/ 5506 दिनांकः 24/03/2025

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप–धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **नगर पालिका सपोटरा**की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार सें हैं:–

क्र.सं	जिला	नगर पालिका का नाम	नगर पालिका में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	करौली	सपोटरा	1. ग्राम पंचायत गज्जूपुरा का राजस्व ग्राम गोपीपुरा एवं गज्जूपुरा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र 2. ग्राम पंचायत हरिया का मंदिर का राजस्व ग्राम रतनापुरा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र 3. ग्राम पंचायत रामठरा का राजस्व ग्राम रामठरा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र(जनगणना 2011 के आधार पर जनसंख्या 1425)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(इन्द्रजीत सिंह)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्धि)डीएलबी/25/5507-5535 दिनांकः 24/03/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. अध्यक्ष, राज्य वित आयोग, राज. जयपुर।
05. सचिव/उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
07. सचिव/आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त नगर पालिका सपोटरा में सम्मिलित किये गये ग्राम पंचायत क्षेत्र को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए

Scanned with OKEN Scanner

संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव, को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही एवं पालना हेतु भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

08. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।

09. संभागीय आयुक्त भरतपुर।

10. जिला कलेक्टर**करौली**को भेजकर निवेदन है कि नगर पालिका, सपोटरा की सीमा क्षेत्र एवं राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र के संदर्भ में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाकर पालना सुनिश्चित की जावें एवं विभाग को अवगत कराने का श्रम करावे। संबंधित सरपंच/उपसरपंच एवं वार्ड सदस्यों को अधिसूचना से सूचित कर पालना कराई जावे।

11. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर/पी.आर.ओ. निदेशालय।

12. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।

13. वित्तीय सलाहकार/समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग निदेशालय राज. जयपुर।

14. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, भरतपुर राजस्थान।

15. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सपोटरा।

16. नोडल अधिकारी, वेबसाईट, निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

17. सरपंच/उपसरपंच/सचिव, एंव वार्ड पंच संबंधित **ग्रांम पंचायत** .... **के राजस्व ग्राम**........... .... जिलाकरौली द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका, सपोटरा।

18. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, निदेशालय को प्रकरण में केवियट दायर किए जाने हेतु।

19. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

Scanned with OKEN Scanner